

राजस्थान सरकार

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाए एवं उप- रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, पाली

क्रमांक: का/उरपा/संस्था/पंजीयन/..... २५४९ दिनांक

श्री शतानंदसिंह साहू (ज्येष्ठ) ६११४८

ਵਿਦਾਲਿਪੀ ਵਿਕਾਸ ਛੁਰ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਗਿਤਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਏਕ)

जारवणगर पोस्ट बुमेश्वरपुर जिला - पाली

विषय :- राजस्थान संस्था- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के

अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में

आपकी संस्था रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र क्रमांक पाली 124/16 दिनांक 6/1/16 किया जाता है जिसकी प्राप्ति की सूचना भी भिजवाये यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा (4) (4) (क) की और आकर्षित किया जाता है जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रति वर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचना भिजवानी आवश्यक है

1. संस्था के मामलो के प्रबन्ध जिसको सोपा गया है उस परिषद समिति या अन्य शीर्ष निकाये के शासको संचालको न्यासियों या सदस्यों के नाम पते और पेशे की सूचना भय पद के।
 2. एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त प्रतिर्वतनो को दिखाया गया है।
 3. संस्था के नियमो ओर विनियमों की एक तारीख की सही प्रतिलिपि जो शर्ष निकास के शासको का संचालको न्यासिका या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सहित प्रमाणित की गई हो इसके अलावा सही प्रमाणित की गई हो, ऐसी प्रतिर्वतन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर अन्दर कार्यालय में पहुच जानी चाहिए।

आपका व्यान उस अधिनियम की धारा (ख) की ओर आकृषित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रविधानों की पालना करने में विफल रहने वाला अपराध सिद्ध होने पर दण्ड से दण्डनीय होगा जो 500 रुपये तक हो सकता है तथा लगातार भंग होने के दशा में और ऐसे दण्ड अर्थ से दण्डनीय हो गया जो प्रत्येक 50रुपये से अधिक नहीं है कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची धारा अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों विनियमों को या उसमें किये गये परीवर्तनों की प्रतिलिपि जान -बुझकर कोई मिथ्या प्रविष्ट्या लोप करता है या करवाता है, तो यह अपराध सिद्ध होने पर अर्थ दण्ड के दण्डनीय होगा जो 2000/- रुपये तक हो सकता है।

संलग्न :- पंजीयन प्रमाण -पत्र एवं विधान पत्र की प्रति

२ रिजिस्ट्रार सर्वोच्च ए
प्रत्यक्षी - सरसवाल्यशिख.)

ગુજરાત રાજ્ય

Principal
Swami Vivekanand Govt. Model School
Shimarpur, Dist. Raib (Raj.)

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक/पाली/..... 124 /20.16-17. -

यह प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय विकास उंव प्रबन्धन
समाप्त, एवं विवेकानन्द विद्यालय सांस्कृतिक अभियान जिला-पाली का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज
दिनांक २० माह दिसंबर सन् दो हजार लाख को
पाली में दिया गया।



रजिस्ट्रीकरण संस्थान, पाली
पाली (राजस्थान)

Principal
Shrikrishna Vivekanand Govt. Model School
Sumerpur Dist. Pali (Raj.)